न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 18/2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/201

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
पारसमल पुत्र श्री मिश्रीलाल, जाति मेघवाल निवासी आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण, जिला पाली		राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांट की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ काजी
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 1.11.21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध तहसीलदार जैतारण के प्रकरण संख्या 25/2021 बअनवान सरकार बनाम पारसमल में पारित आदेश दिनांक 29.7.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन एवं मातहत अदालत की पत्रावली तलब कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया कि पटवार हल्का आनन्दपुर कालु ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार जैतारण के समक्ष गैरसायल पारसमल द्वारा ग्राम बस्सी के खसरा नंबर 836 रकबा 0.09 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर की राजकीय भूमी पर संवत 2078 में पश्चातवृती अतिक्रमण करने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश की गई। जिस पर अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर 90 दिन का सिविल कारावास व जुर्माने के साथ बेदखली से दण्डित करने का जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। खसरा नंबर 836 आनन्दपुर कालू चक नम्बर 2 में 200 से 250 मकान बने हुए है इसमें ग्राम पंचायत की निधि लगी हुई है व लाईट पानी के कनेक्शन व रास्ते बने होने के साथ अपीलाण्ट का भी पानी का कनेक्शन लिया हुआ है व अपीलाण्ट का मकान 40 वर्ष पुराना है तथा यह किसी प्रकार से नया अतिक्रमण नहीं होने से जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है। उक्त भूमी का सन् 1989 से अपीलाण्ट के पक्ष में खसरा परिवर्तनशील है अतः उक्त भूमी का अपीलाण्ट के लिए मकान का नियमितीकरण किया जाना विधिसम्मत था जबकि अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर सजा का आदेश पारित किया जाना विधी के प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। प्रकरण दिनांक 08.07.2021 को दर्ज कर दिनांक 29.7.2021 को अपीलाण्ट को बिना सुनवाई, जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये मात्र पटवार हल्का के रिपोर्ट के आधार पर तीन माह के सिविल कारावास व बेदखली का कठोर आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा सिविल जज जैतारण के यहां पारसमल बनाम जिला कलक्टर का एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा व प्रोहीबिटरी इनेक्शन का वाद पेश किया गया है उससे ही राईट व टाईटल तय होंगे, 40 वर्षों से अपीलाण्ट का सैटल पजेशन होने से तहसीलदार को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होने से जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है। धारा 91 के अनुसार कार्यवाही करते समय इसके उपनियमों की पालना किये बिना ही अपीलाण्ट का 40 वर्षों से अधिक पुराना कब्जा होने के बावजूद जैर अपील आदेश अपीलाण्ट को घरबदर करने के उद्धेश्य पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट के विरूद्ध पारित जैर अपील आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त [illegible]।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस [illegible] कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट एवं [illegible] पूर्व में भी वर्ष 2020 में इसी खसरा नंबर 836 [illegible] गैर मुमकिन गौचर [illegible] राजकीय भूमी पर अतिक्रमण किया था। जिस प[illegible]करण नायब तहसील[illegible]रा मु.न. 217/2020 दर्ज कर उसमें दिनांक 25.8.2021 को बेदेखली के आदेश पारित किये गये थे। तथा पटवार हल्का आनन्दपुर कालु द्वारा दिनांक 14.1.2021 को भौतिक रूप से रूबरू मौतबिरान बेदखल किया गया था जिसकी रिपोर्ट मातहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:30:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

अदालत की पत्रावली में संलग्न है जिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर है वर्तमान में पुनः अपीलांट द्वारा उक्त राजकीय भूमी पर पश्चातवृती अतिक्रमण किये जाने से तथा जैर अपील आराजी गै.मु. गौचर भूमी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भूमी प्रतिबंधित श्रेणी की होने से अपीलार्थी के पक्ष में नियमन भी नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में तहसीलदार जैतारण द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत है अतः अपील अपिलांट निरस्त फरमाई जावे। तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली संलग्न दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त अपील में विचारणीय बिन्दु 2 है :—

1. क्या तहसीलदार जैतारण द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किया जाकर व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया ?
2. क्या अपीलार्थी द्वारा पश्चातवृती अतिक्रमण किया गया ?

पटवारी हल्का आनन्दपुर कालु द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालु द्वारा बाद जाँच पेश की गई उसके आधार पर प्रकरण संख्या 25/2021 दिनांक 08.07.2021 को दर्ज कर अप्रार्थी को पश्चातवृति अतिक्रमण करने बाबत जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी पेशी दिनांक 19.7.2021 को उपस्थित हुआ जो मातहत अदालत की दिनांक 19.07.2021 की आदेशिका पर उसके अंगूठा निशान से स्पष्ट है। तथा उक्त दिवस को उसके द्वारा किसी प्रकार का. जवाब साक्ष्य अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय नहीं चाहा गया। मातहत अदालत द्वारा अप्रार्थी को अतिक्रमण हटाने हेतु समय दिया गया एवं सुनवाई हेतु अवसर भी दिया गया तथा अतिक्रमण नहीं हटाने पर मातहत अदालत द्वारां दिनांक 29.07.2021 को जैर अपील आदेश पारित किया गया। अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर पश्चातवृती अतिक्रमण करने पर तथा अतिक्रमित आराजी गौचर भूमी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी होने से भूमी का नियमन नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश पारित करना ही एक मात्र विकल्प होने से तहसीलदार जैतारण द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जैर अपील आदेश पारित किये गये है जो विधिसम्मत है।

मातहत अदालत की पत्रावली में पटवारी हल्का के बयानों से स्पष्ट है कि पूर्व में इसी खसरा नंबर 836 रकबा 0.09 बीघा किस्म गै.मु. गौचर की राजकीय भूमी पर वर्ष 2020 में अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 217/2020 में दिनांक 25.8.2021 को बेदखली के आदेश भी पारित किये गये। जिसकी पालना में पटवार हल्का आनन्दपुर कालु द्वारा अपीलार्थी को उक्त अतिक्रमित आराजी से दिनांक 14.1.2021 को भौतिक रूप से बेदखल कर आराजी का कब्जा सरकार द्वारा लिया गया था फर्द मातहत अदालत की पत्रावली संलग्न है तथा उस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर से स्पष्ट है। अपीलार्थी द्वारा फिर से कब्जा करने पर एवं पक्का निर्माण शुरू करने पर पटवार हल्का द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट पेश करने पर जैर अपील कार्यवाही की गई एवं जैर अपील आदेश पारित किया गया इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा पश्चातवृती अतिक्रमण किया जाना सिद्ध है अतिक्रमण करने की दुष्प्रवृति को रोकने के लिए जैर अपील आदेश पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। जैर अपील आदेश यथावत रखा जाना विधिसम्मत है।

Signature Not Verified

परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है एवं मातहत अदालत तहसीलदार जैतारण द्वारा जैर अपील प्रकरण 25/2021 बअनवान सरकार बनाम पारसमल में पारित निर्णय दिनांक 29.7.2021 को यथावत रखा जाता है।

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:30:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 1-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)